भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1480

(दिनांक 31.07.2024 को उत्तर देने के लिए)

ओटीटी प्लेटफॉर्मों का विनियमन

1480. श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः

डॉ. विनोद कुमार बिंदः

डॉ. बायरेड्डी शबरीः

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ओटीटी प्लेटफार्मों पर बाल नग्नता सामग्री और अश्लील सामग्री का विनियमन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को लगता है कि मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता और फूहड़ता को रोकने के लिए ओटीटी प्लेटफार्मों पर दिखाई जाने वाली सामग्री की निगरानी की जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): सरकार ने आईटी अधिनियम, 2000 के तहत दिनांक 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं। नियमों के भाग-III में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। इस आचार संहिता में प्रावधान है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं करेंगे जो तत्समय लागू कानून द्वारा निषिद्ध है और उन्हें नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशा-निर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु-आधारित स्व-वर्गीकरण करने के साथ-साथ पर्याप्त पहुँच नियंत्रण उपायों के साथ बच्चों के लिए आयु-अनुचित सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने होंगे।

मार्च, 2024 में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) के उपबंधों के तहत अश्लील और अभद्र सामग्री प्रकाशित करने के लिए कार्रवाई की है और 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक कर दिया है।

*****